न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

जयप्रकाश कुमावत .... बनाम .... तहसीलदार, सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा .... प्रा.पत्र अ.धा. 136 LR Act .... मु.नं. 441 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
14/10/25	प्रार्थी जयप्रकाश कुमावत पुत्र केशरमल कुमावत जाति कुम्हार निवासी ग्राम सिहोट छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम सिहोट छोटी पटवार हल्का सिहोट छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 156 व 341 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि नाबालिग जयप्रकाश पुत्र केशरमल संरक्षक सरपरस्त ताऊ रघुनाथप्रसाद दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टि जयप्रकाश कुमावत पुत्र केशरमल कुमावत है। अर्थात् प्रार्थी वर्तमान में बालिग हो चुका है। प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थी वर्तमान में बालिग हो चुका है तथा प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि जयप्रकाश कुमावत पुत्र केशरमल कुमावत अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठियां नाबालिग जयप्रकाश पुत्र केशरमल संरक्षक सरपरस्त ताऊ रघुनाथप्रसाद के स्थान पर जयप्रकाश कुमावत पुत्र केशरमल कुमावत दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/3025 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट्स के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सिहोट छोटी पटवार हल्का सिहोट छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 156 व 341 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि नाबालिग जयप्रकाश पुत्र केशरमल संरक्षक सरपरस्त ताऊ रघुनाथप्रसाद के स्थान पर जयप्रकाश कुमावत पुत्र केशरमल कुमावत दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/3025 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:57:07 IST
Reason: SelfAttested